mail

पत्रांक–1प्रा0आ0–13 / 2016 3291 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार।

पटना–15, दिनांक– 31/8/16

विषयः **राहत केन्द्र के संचालन के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उर्पयुक्त विषयक विभागीय पत्रांक–3174 / आ0प्र0, दिनांक–24.08.2016 पत्रांक–3177 / आ0प्र0, दिनांक–24.08.2016 पत्रांक–3188 / आ0प्र0, दिनांक–25.08.2016 एवं पत्रांक–3202 / आ0प्र0, दिनांक–26.08.2016 का स्मरण किया जाए, जिसमें राहत केन्द्रों के संचालन हेतु विस्तृत निदेश भेजा गया है। उक्त पत्रों में राहत केन्द्रों की व्यवस्था हेतु भोजन सामग्री एवं बच्चों के लिए दुग्ध पर व्यय गैर–योजना बजट शीर्ष 2245–02–101–0002–खाद्यान्न की आपूर्ति मद से किए जाने का निदेश दिया गया है। इसी प्रकार सामुदायिक किचन (Community Kitchen) के माध्यम से पका हुआ भोजन प्रभाविता को खिलाने तथा फुड पैकेट के रूप में दिए जाने वाले खाद्यान्न के अन्तर्गत व्यय होने वाली राशि की प्रतिपूर्त्ति खाद्यान्न की आपूर्त्ति मद से किया जाना है।

इस संबंध में स्पष्ट करना है कि ऐसे प्रभावितों को पका हुआ भोजन खिलाने अथवा फूड पैकेट दिए जाने में होने वाले व्यय की प्रतिपूर्त्ति गैर योजना बजट शीर्ष–2245–02–101–0002 खाद्यान्न की आपूर्त्ति अन्तर्गत विषय शीर्ष 21 03 आहार / पथ्य अन्तर्गत किया जाना है, जिस हेतु राशि आवंटित की जा रही है। पूर्व में गैर योजना बजट मुख्य शीर्ष–2245–02–101–0002 खाद्यान्न की आपूर्त्ति, विषय शीर्ष–31 06–सहायक अनुदान–वेतनआदि के अलावा अन्तर्गत आवंटित राशि अथवा इस विषय शीर्ष के अन्तर्गत आवंटित की जाने वाली राशि का व्यय मुफ्त साहाय्य के अन्तर्गत खाद्यान्न के बदले दी जाने वाली राशि, 3000 / –रूपये का भुगतान हेतु किया जाना है।

अनुरोध है कि तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

31/8/16

(अनिरूद्ध कुमार)

संयुक्त सचिव